



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

## अवैध शराब कारोबार में लिप्त 04 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-20.5.21

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी.सिंह द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना तंबौर पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण एवम् विक्रय/परिवहन के अपराध में लिप्त 04 अभियुक्तगण 1.कैलाश पुत्र रामगुलाम 2.राकेश पुत्र पैकरमा 3.माधवराम पुत्र अशर्फी 4.माधवराम पुत्र संतलाल सर्व नि0गण खानामडोर थाना तंबौर जनपद सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण शातिर शराब तस्कर हैं, जिनके विरुद्ध इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना तंबौर पर मु0अ0सं0 144/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। विवरण निम्न है-

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 144/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना तंबौर सीतापुर

### अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. कैलाश पुत्र रामगुलाम नि0 खानामडोर थाना तंबौर जनपद सीतापुर
2. राकेश पुत्र पैकरमा नि0 खानामडोर थाना तंबौर जनपद सीतापुर
3. माधवराम पुत्र अशर्फी नि0 खानामडोर थाना तंबौर जनपद सीतापुर
4. माधवराम पुत्र संतलाल नि0 खानामडोर थाना तंबौर जनपद सीतापुर

### आपराधिक इतिहास का विवरण

### अभियुक्त कैलाश व राकेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 18/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना तंबौर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 50/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना तंबौर सीतापुर
3. मु0अ0सं0 144/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना तंबौर सीतापुर

### अभियुक्त माधवराम पुत्र अशर्फी व माधवराम पुत्र संतलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 18/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना तंबौर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 144/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना तंबौर सीतापुर